



2026:AHC:55576

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2599 सन् 2026

शैलेन्द्र कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दया शंकर पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
2. वर्तमान दण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०-15/2024 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 388, 406, 506, थाना निवारी, जिला गाजियाबाद में, अग्रिम जमानत की माँग करते हुए इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि मुख्य श्रीमती सविता ने विवादित राशि जमा कर दी है तथा उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 01.10.2024 को पारित आदेश, जो आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 9435/2024 में है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 48 पर है, द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि आवेदक ने पहले आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7363/2025 दाखिल किया था, तथा इस न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने के बावजूद जाँच अधिकारी ने बिना किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ठोस साक्ष्य के प्रति-कार्यात्मक तरीके से आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उपर्युक्त मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा जब भी जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं जाँच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सल्लिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किए अग्रिम जमानत की प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - शैलेन्द्र कुमार की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र, दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को धमकी नहीं देगा या उन्हें उत्पीड़ित नहीं करेगा।

iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या जिसके कारण उस पर संदेह है।

v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 मार्च, 2026

एस. अली